-1-

(42)

विलोपित

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर म.प्र.

परमानन्द उर्फ परमानन्दी गौतम तनय स्व. छिमाधार गौतम
निवासी वार्ड क्र 7 खुजराहो तह. राजनगर
जिला छतरपुर ....निगरानीकर्ता

विरूद्ध

जे0डी0इन्फ्रा ऐस्टेट प्राईवेट लिमिटेड कंपनी
पंजीकृत कार्यालय 703-704 पर्ल वेस्ट हाईट 11
नेताजी सुभाष पेलेस पितमपुरा नई दिल्ली
द्वारा डायरेक्टर विपुल गर्ग तनय सुरेन्द्र गर्ग
निवासी 79 चन्द्रलोकर इल्क्लेवा नई दिल्ली
..........अनावेदक

श्री ... द्वारा आज दि. 4/07/16 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959

उपरोक्त नामांकित निगरानीकर्तागण न्यायालय श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी राजनगर जिला छतरपुर द्वारा प्रकरण क्र 46/अपील/15-16 पारित आदेश दिनांक 20/6/16 से दुखित होकर निम्न आधारों सहित अन्य आधारों पर अपनी यह निगरानी श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत कर रहा है :-

1. यह कि, प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि खसरा क्र 339 रकवा 1.846हे भूमि आवेदक के भूमिस्वामी स्वामित्व की भूमि है जिसमें से 1.215 हे भूमि का अनावेदक द्वारा आवेदक को विना कोई प्रतिफल अदा किए हुए एक विक्रय पत्र दिनांक 18/11/14 को अपने पक्ष में कराया गया तथा आवेदक को नामांतरण के पूर्व संपूर्ण राशि अदा करने हेतु मौखिक रूप से अनावेदक द्वारा कहा गया जिस कारण से आवेदक द्वारा नामांतरण किए जाने पर लिखित अपत्ति दिनांक 28/4/15 को प्रस्तुत की गयी जिसके उपरांत अनावेदक द्वारा दिनांक 1/8/15 को नामांतरण किए जाने हेतु एक आवेदन पत्र तहसीलदार राजनगर के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसमें तहसीलदार राजनगर द्वारा बिना किसी साक्ष्य के अपना विधि विपरीत आदेश पारित किया गया जिसके विरूद्ध आवेदक द्वारा एक अपील अनुविभागीय अधिकारी राजनगर के समक्ष प्रस्तुत की गयी जिसे अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विधि विपरीत तरीके से

जितेन्द्र सिंघई
एड.

94251-71223
9009209222

राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक R-2194-I/16 जिला– छतरपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर
4-7-16	आवेदक अधिवक्ता श्री नितेन्द्र सिंधई उपस्थित। केवियटकर्ता अधिवक्ता श्री दिवाकर दीक्षित उपस्थित।उभय पक्ष के तर्क श्रवण किए गए। 2— मैनें प्रकरण का अवलोकन किया। यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी राजनगर के प्रकरण क्र 46/अपील/15—16 में पारित आदेश दिनांक 20/6/16 म. प्र. भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गयी है। 3— आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क में कहा गया है कि जिस विक्रय पत्र दिनांक 18/11/14 के आधार पर अनावेदक द्वारा नामांतरण की कार्यवाही प्रारंभ की गयी है उस विक्रय पत्र निष्पादन के पूर्व अथवा बाद में अनावेदक द्वारा आवेदक को निर्धारित प्रतिफल अदा नहीं किया गया है जिस कारण से नामातंरण की कार्यवाही पूर्णतः विधि विपरीत है। आवेदक द्वारा तर्क में यह भी कहा गया कि उसके द्वारा अनावेदक के नामातंरण आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पूर्व ही लिखित अपत्ति प्रस्तुत की थी परंतु विचारण न्यायालय द्वारा अपत्ति पर कोई ध्यान नहीं दिया गया और ना तदसंबंध	

R-2194.I/16 (छतरपुर)

में कोई साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदाय किया उक्त कारणों से आवेदक द्वाा निगरानी स्वीकार किए जाने अनुरोध किया गया है।

4— केवियकर्ता अधिवक्ता का तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष है जिस कारण हस्ताक्षेप योग्य नहीं है। अतएव निगरानी निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

5— उभय पक्षों के तर्कों पर विचार किया एंव प्रकरण का तथा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। आवेदक द्वारा प्रस्तुत तहसीलदार की आदेश पात्रिकाओं के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा दिनांक 28/4/15 एवं संशोधित अपत्ति दिनांक 1/8/15 को प्रस्तुत की गयी थी। आदेश पात्रिका दिनांक 5/3/16 के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवदेक द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत करने का निवेदन तहसीलदार राजनगर के समक्ष किया गया था परंतु तहसीलदार द्वारा दिनांक 8/3/16 को बिना कोई साक्ष्य अंकित किए हुए अपना अंतिम आदेश पारित किया है जो कि विधिक प्रावधानों व प्राकृतिक न्याया के सिद्वांतों के विपरीत है। तथा अनुविभागीय अधिकारी राजनगर द्वारा भी उक्त तथ्य को अनदेखा किया है। उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी राजनगर का आदेश दिनांक 20/6/16 एंव तहसीलदार राजनगर का आदेश दिनांक

R-2194-I/16 (छत्तीस)

8/3/16 निरस्त किए जाते है तथा प्रकरण तहसीलदार राजनगर को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वह प्रकरण में उभय पक्ष को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण का गुण दोषों पर निराकरण करें। तदानुसार यह प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

सदस्य